उत्तर प्रदेश शासन

वन अनुभाग-1

संख्याः-91/2015/2202/14-1-2015-23/2015

लखनऊ दिनांक 07 सितम्बर, 2015

<u>कार्यालय-आदेश</u>

पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के संबंध में सिविल अपील संख्या-2608/2011, यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0 बनाम राजेश कुमार व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.04.2012 का कार्यकारी अंश (Operative Portion) निम्नवत् हैः-

"In the ultimate analysis, we conclude and hold that section-3(7) of 1994 Act and rule-8A of the 2007 Rules are ultra-vires as they run counter the dictum in M.Ngaraj (Supra). Any promotion that has been given on the dictum of Indra Sawhney (Supra) and without the aid or assistance of section-3(7) and rule-8A shall remain undisturbed."

2. मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उक्त वर्णित आदेश के क्रम में कार्मिक विभाग द्वारा निम्नांकित शासनादेश के माध्यम से दिशा-निर्देश प्रसारित किये गये हैः-

I. शासनादेश संख्या-4/1/2002 टी0सी0-1-का-2-2012, दिनांक 28.04.2012

II. शासनादेश संख्या-4/1/2002टी0सी0-1-का-2-2012, दिनांक 08.05.2012

III. शासनादेश संख्या-4/1/2002टी0सी0-1-का-2-2012, दिनांक 13.05.2012

IV. शासनादेश संख्या-8/4/1/2002टी0सी0-1-का-2/2015, दिनांक 21.08.2015

3. कार्मिक विभाग के उक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 21.08.2015 के प्रस्तर-6 में पदोन्नति में आरक्षण तथा परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर 28 अप्रैल, 2012 के पूर्व एवं 15.11.1997 के बाद प्रोन्नत कर्मियों के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए गये हैः-

(क) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-1994 की धारा-3(7) के प्रावधान के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देते हुए दिनांक 15.11.1997 के पश्चात् पदोन्नत कार्मिकों तथा उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 (यथासंशोधित) के नियम-8 (क) का लाभ देकर जिन कार्मिकों की पदोन्नति की गयी है, उन्हें पदावनत कर दिया जाय। वर्तमान संशोधित वरिष्ठता सूची जो कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 08.05.2012 एवं 13.05.2012 के क्रम में जारी की गयी है, के अनुसार दिनांक 15.11.1997 के पश्चात पदोन्नति में आरक्षण तथा नियम-8 क का लाभ प्राप्त कर पदोन्नत कार्मिकों से कनिष्ठ कर्मी जिस स्तर पर कार्यरत हो, उस स्तर तक उन्हें पदावनत किया जाय।

http://shasanadesh.upnic.in

(ख) पदावनत किये जाने पर, आरक्षित श्रेणी के कार्मिक को पदावनत पद का ही वेतनमान अनुमन्य होगा। उक्त वर्णित संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार पदावनत किये गये आरक्षित श्रेणी के कार्मिक से आसन्न वरिष्ठ कर्मी को अनुमन्य मूल वेतन के बराबर पदावनत कर्मी का मूल वेतन निर्धारित किया जायेगा। पदावनति के ठीक पूर्व के माह में पदावनत कर्मी को प्राप्त हो रही परिलब्धियाँ (मूल वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि) में पदावनति के उपरांत कोई वित्तीय हॉनि न हो, इसके लिए पदावनत किये गये कार्मिक की पदावनति के उपरांत निर्धारित मूल वेतन के आधार पर प्राप्त होने वाली कुल परिलब्धियाँ तथा पदावनति के ठीक पूर्व के माह में प्राप्त होने वाली कुल परिलब्धियों में जो अंतर होगा, वह वैयक्तिक वेतन के रूप में पदावनत कार्मिक को अनुमन्य होगा वैयक्तिक वेतन आगे के वर्षों में उस सीमा तक कम होता जायेगा जिस सीमा तक पदावनत कर्मी के मूल वेतन में वार्षिक वेतन वृद्धि के कारण मूल वेतन तथा वार्षिक वेतन वृद्धि तथा अन्य भत्तों सहित आधारित सकल वेतन में वृद्धि हो रही है। पदावनत कर्मी की पदावनति के ठीक पहले के माह में प्राप्त कुल मासिक परिलब्धियाँ तब तक फ्रीज रहेंगी जब तक कि पदावनत कर्मी से आसन्न वरिष्ठ कर्मी की परिलब्धियाँ इसके बराबर या इससे अधिक न हो जाय।

(ग) आरक्षण का लाभ प्राप्त कर पदोन्नत कार्मिक, पदावनति के पश्चात पदावनत पद के अनुरूप ही समस्त सुविधाएं प्राप्त करेगें।

(घ) पदावनत कर्मी को प्राप्त हो रही परिलब्धियों (जिसमें वैयक्तिक वेतन शामिल होगा) के आधार पर वरिष्ठता क्रम का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा।

(च) अनारक्षित वर्ग (जिन्हें पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं थी) के पदधारकों द्वारा इस आधार पर अतिरिक्त परिलब्धियों अथवा वैयक्तिक वेतन की मांग नहीं की जायेगी कि वे पदावनत कर्मी से संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार वरिष्ठ है।

(छ) उपरोक्तानुसार पदावनति किये जाने के परिणामस्वरूप जो रिक्तियाँ उपलब्ध होगी, उन पर उक्त वर्णित संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार पदोन्नति की कार्यवाही की जायेगी।

4. कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-8/4/1/2002 टी0सी0-1-का-2/2015 दिनांक 21.08.2015 के प्रावधानों के अनुसार राज्य वन सेवा के सहायक वन संरक्षक संवर्ग का पदावनति का प्रस्ताव प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-ई0शा0-189/10-46-5, दिनांक 26.08.2015 द्वारा उपलब्ध कराया गया। प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुसार श्री अवध बिहारी, क्षेत्रीय वनाधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से दिनांक 30.12.1997 को नियुक्त हुए थे तथा श्री अवध बिहारी (क्षे0व0अ0 की ज्येष्ठता सूची दिनांक 30.05.1996 का क्रमांक-463) अनुसूचित जाति के कोटे का लाभ प्राप्त करके दिनांक 17.11.2008 को क्षेत्रीय वनाधिकारी के पद से सहायक वन संरक्षक के पद पर

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रोन्नत हुए थे। सम्प्रति इनसे वरिष्ठ क्षेत्रीय वनाधिकारी अभी सहायक वन संरक्षक के पद पर प्रोन्नत नहीं हुए है।

अतएव मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.04.2012 के अनुपालन में प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 के पत्र संख्या-ई0शा0-189/10-46-5, दिनांक 26.08.2015 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरांत पदोन्नति मे आरक्षण का लाभ प्राप्त कर प्रोन्नत श्री अवध बिहारी, सहायक वन संरक्षक को तात्कालिक प्रभाव क्षेत्रीय वनाधिकारी के पद पर पदावनत किये जाने की माननीय राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते है। श्री अवध बिहारी पदावनत पद अर्थात क्षेत्रीय वनाधिकारी पद के अनुरूप ही समस्त सुविधायें प्राप्त करेंगे तथा श्री अवध बिहारी को कोई अतिरिक्त कार्यभार नहीं दिया जायेगा।

संजीव सरन
प्रमुख सचिव।

संख्याः-2202(1)/14-1-2015-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक,उ0प्र0 लखनऊ।
5- समस्त मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक, उ0प्र0 द्वारा प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
7- निदेशक सामूहिक बीमा निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
8- संबंधित अधिकारी द्वारा प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ।
9- संबंधित कोषाधिकारी द्वारा प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0 वी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in